

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार में अतिआवश्यक आकस्मिक कार्य कराने के लिए इच्छुक संवेदकों के सूचीबद्धता हेतु

आमंत्रण सूचना संख्या -01/Notice/BIADA/2023

एतद् द्वारा संबंधित संवेदकों को सूचित किया जाता है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए अनुरक्षण/मरम्मत शीर्ष के आपातकालीन/अत्यावश्यक/आकस्मिक कार्यों के कार्यान्वयन हेतु सूचीबद्ध संवेदकों से कार्य कराने हेतु बिहार राज्य में कार्यरत श्रेणी-IV एवं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना में निबंधित श्रेणी-III के संवेदकों को विहित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार चयन/सूचीबद्धता हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

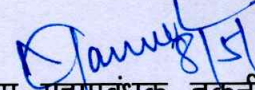
उक्त प्रस्ताव विहित प्रपत्र में स्पष्ट एवं पठनीय (कम्प्यूटराइज) रूप से भरकर वांछित एवं आवश्यक अग्रधन की राशि रू0 5000/- (पाँच हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में Bihar Industrial Area Development Authority, Patna के नाम से भुगतये हो जो लौटाया नहीं जाएगा के साथ दिनांक 24.05.2023 को अपराह्न 3:00 बजे तक प्राधिकार कार्यालय में समर्पित करना होगा।

प्रस्ताव हेतु विहित प्रपत्र/प्रारूप प्राधिकार के वेबसाइट (www.biadabihar.in) से प्राप्त कर सकते हैं। विहित प्रपत्र एक खण्डों में होगा। प्रपत्र 'क'। प्रपत्र-क में आवेदक का बायोडाटा एवं वांछित प्रमाण-पत्र, प्रपत्र 'क' को एक बड़े आकार के लिफाफे में सीलबंद कर तथा उसके उपर अपना नाम एवं वर्तमान पता अंकित कर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना के कार्यालय में उपरोक्त वर्णित तिथि को समर्पित करना होगा। सभी कागजात सुस्पष्ट एवं पठनीय हो, की प्रति अभिप्रमाणित कर जमा/संलग्न करना अनिवार्य होगा।

संवेदक की सूचीबद्धता केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए विभागीय दिशा निर्देश/शर्त के आधार पर किया जाएगा। उक्त दिशा निर्देश/शर्त के संबंध में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना के कार्यालय से विशेष जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

1. आवेदन जमा करने की तिथि एवं समय : 24.05.2023 अपराह्न 3:00 बजे
2. मोहरबंद लिफाफा खोलने की तिथि एवं समय : 24.05.2023 अपराह्न 3:30 बजे
3. आवेदन जमा करने का स्थान : बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना (मोहर बंद लिफाफा में)
4. सूचीबद्ध संवेदकों से वित्तीय दर प्राप्त कर न्यूनतम दरदाता (L1) को अधिकतम रू0 15 लाख तक के कार्यों का आवंटन वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के लिए किया जायेगा।
5. विभाग द्वारा निर्धारित विहित मूल्यांकन प्रपत्र के आधार पर प्राप्त आवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संवेदक को सूचीबद्ध किया जाएगा।

6. संवेदक को (i) Not Abandoned (ii) Not Litigation (iii) No Relation (iv) No Debar & Blacklist का शपथ-पत्र देना अनिवार्य है।
7. संवेदक को वैद्य चरित्र प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, GST, PAN, श्रेणी-IV/III का निबंधन आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
8. सूचीबद्धता हेतु बिहार राज्य में कार्यरत श्रेणी-IV एवं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना में निबंधित श्रेणी-III के संवेदकों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
9. उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित सभी कागजात प्रपत्र 'क' के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. सूचीबद्ध संवेदक का कार्य आवंटन के संबंध में किसी प्रकार का दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगा।
11. विस्तृत जानकारी के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना के कार्यालय में संपर्क की जा सकती है।
12. बिना कोई कारण बताये किसी भी समय संवेदकों की सूचीबद्धता हेतु प्रस्ताव आमंत्रण सूचना को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है। इसके लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।


उप-महाप्रबंधक, तकनीकी
बियाड़ा, पटना।

प्रपत्र- 'क'

BIADA बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार में 15 लाख तक के भौतिक निर्माण कार्यों के लिए संवेदकों/फर्मों को सूचीबद्ध करने हेतु आवेदन-पत्र (01/Notice/BIADA/2023)

आवेदक का नाम :-

पिता/पति का नाम :-

माता का नाम :-

जन्म तिथि :-

व्यवसाय :-

स्थायी पता :-

वर्तमान पता :-

मोबाईल नं० :-

ई-मेल आईडी :-

पैन नं० :-

जीएसटी नं० :-

अग्रधन की राशि :- रू० 5,000/- (पाँच हजार रुपये) मात्र

बैंक शाखा एवं ड्राफ्ट नं० :-

राज्य सरकार के विभाग में चतुर्थ श्रेणी में निबंधन संख्या एवं वर्ष:-

विभाग :-

जिला :-

स्थान:-

दिनांक:-

Photo

आवेदक का हस्ताक्षर

शपथ-पत्र

मैं पिता/पति का नाम
..... मोहल्ला
..... का निवासी हूँ।

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:-

क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं

ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची, ठसबा
कागजात में दर्ज विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।

ग) मेरा/हमारा निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस
वर्ग के संसुराल पक्ष के संबंधी) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार में कनीय अभियंता/सहायक
अभिप्रेत/कार्यपालक अभियंता/लेखा पदाधिकारी/लेखापाल इत्यादि के रूप में कार्यरत नहीं है।

घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।

ङ) उपर्युक्त कडिका 'क', 'ख' एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कडिका
घ में से कोई अभिलेख असत्य, नक्ली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधिसम्मत
दण्ड मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र
होगा।

उपर्युक्त कडिका 'क', 'ख' एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कडिका
घ में से कोई अभिलेख असत्य, नक्ली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि
जप्त कर लिया जायेगा तथा उनके ऊपर विधिसम्मत दण्ड, संवेदक के निबंधन को काली सूची में दर्ज
करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।